

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

D.B. Civil Writ Petition No. 916/2022

1. Choturam S/o Narayan Ram, Aged About 58 Years, R/o Ram Sagar Bera, Daijar, Mandore Jodhpur.
2. Vinod Kumar S/o Sohan Lal, Aged About 28 Years, R/o 218 Madalnath Chouraha, Daijar, Mandore, Jodhpur.
3. Mani Ram S/o Happa Ram, Aged About 61 Years, R/o Madalnath Chouraha, Daijar, Mandore, Jodhpur.
4. Prahalad S/o Chetanram, Aged About 36 Years, R/o Madalnath Chouraha, Daijar, Mandore, Jodhpur.
5. Prema Ram S/o Hajari Ram, Aged About 61 Years, R/o Tilotiya Bera Daijar, Mandore, Jodhpur.

-----Petitioners

Versus

1. The State Of Rajasthan, Through The Secretary, Department Of Revenue, Secretariat, Jaipur.
2. The District Collector, Jodhpur.
3. Jodhpur Development Authority, Through Its Commissioner.
4. Lrs Of Late Sh. Kishan Chand, Through
5. Kailash Chand S/o Kishan Chand, Resident Of House No. 70, Nehru Park, Jodhpur.
6. Ramesh Chand S/o Kishan Chand, Resident Of House No. 70, Nehru Park, Jodhpur.
7. Rajesh Chand S/o Kishan Chand, Resident Of House No. 70, Nehru Park, Jodhpur.

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Muktesh Maheshwari with Mr. Gaurav Ranka
For Respondent(s)	:	Mr. O.P. Mehta with Mr. Jubin Ahmed, Mr. Falgun Buch Mr. Tanay Jain, Ms. Simran Mehta Mr. Rajat Dave Ms. Kanchan Kanwar Jodha for Mr. N.S. Rajpurohit, AAG

HON'BLE DR. JUSTICE PUSHPENDRA SINGH BHATI
HON'BLE MR. JUSTICE SANDEEP SHAH

Order

23/03/2026

1. The core issues raised in the writ petition (PIL) are set out in Paragraph 5 thereof, wherein it is stated that, as per the Master Development Plan-2031 of the Jodhpur Region, the proposed State Highway named Daijar Phanta–Nagaur, having 60 meters width, commencing from Daijar Phanta State Highway to Nagaur National Highway, is being breached and encroached upon at various places. These core issues then convert into macro issues in the PIL, wherein certain khasras are named and specific deviations are pointed out in respect of one khasra.
2. At this juncture, Mr. O.P. Mehta, learned counsel appearing for the private respondents tried to point out that the deviations highlighted at the macro level are merely an eyewash and stem from personal disputes, and therefore may not be considered.
3. This Court, while keeping the said issue open for the time being, is not inclined to hear the parties on the adversarial aspects of these macro-level deviations at this juncture. Accordingly, the issue is kept in abeyance and the respondent-JDA is directed to come out with a clear stand explaining the steps it has already taken as well as its policy and proposed course of action for implementing the Master Development Plan-2031 of the Jodhpur Region, particularly with regard to the State Highways and roads in question, while also taking into account the directions issued in the case of Gulab Kothari Vs. State of Rajasthan.

4. Mr. Rajat Dave, learned counsel appearing for the respondent-JDA, on being queried, submitted the minutes of the meeting dated 17th February 2026, specifically referring to Issue No. 4 therein, which is reproduced as follows:

"प्रस्ताव संख्या 4 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान व जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क के क्रियान्वयन के संबंध में।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान व जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क के क्रियान्वयन के संबंध में।	जोधपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर डवलपमेन्ट प्लान व जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़क के क्रियान्वयन के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त आदेशों के माध्यम से मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़कों का मौके पर डिमार्केशन कर चिह्निकरण/पत्थरगढ़ी किये जाने तथा प्रस्तावित सड़कों के मार्गाधिकार में राजकीय भूमि हो तो यथासम्भव अर्थवर्क का कार्य भी करवाये जाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं ताकि आमजन को मुख्य सड़कों की जानकारी हो सके एवं सड़कों के प्रस्तावित मार्गाधिकार के अवैध कॉलोनियों का सृजन व अवैध निर्माण नहीं हो सके। मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 जोधपुर रीजन के बिन्दु संख्या 3. 2 'नियोजन के सिद्धांत' के बिन्दु सं. 8 अनुसार मास्टर प्लान, जोनल प्लान की सड़कों का मौके पर डिमार्केशन व प्रस्तावित सड़कों को आपस में लिंक किये जाने की सुनिश्चिता की जानी है।

इस प्रकार शहर में मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़कों के निर्माण होने से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में "नवीन ग्रोथ सेण्टर्स" का विकास सम्भव हो सकेगा, जिससे शहर के सुनियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी। उक्त सड़कों के पास स्थित प्राधिकरण की भूमि पर भविष्य में विभिन्न नवीन योजनाएं सृजित की जा सकेंगी एवं प्राधिकरण की भूमि पर संभावित अतिक्रमणों पर अंकुश लग सकेगा। मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित सड़कों के निर्माण से आस-पास के क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 व जोनल डवलपमेन्ट प्लान की प्रस्तावित सड़कों का डिमार्केशन व आवश्यकतानुसार सड़कों का निर्माण किया जाना है। प्रारम्भिक चरण में पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.09.2025 के एजेण्डा संख्या 05 पर लिये गये निर्णय के क्रम में मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में शास्त्री सर्किल से पाल बाईपास रिंग रोड तक प्रस्तावित 100 फीट सड़क एवम्

इसके दोनों तरफ जहां-जहां कृषि भूमि है, वहां पर प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 100-100 फीट तक डिमार्केशन पर मुटाम लगाये गये। साथ ही उपर्युक्तानुसार डिमार्केशन में आने वाली भूमि के वैद्य स्वामियों की सूची बनाई गई।

जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 में उक्त प्रस्तावित सड़क के क्रियान्वयन के संबंध में हितधारकों के सुझाव आमंत्रित करने उपरान्त नगरीय विकास विभाग के आदेश:प.6(29)नवि/3/2004 दिनांक 12.07.2024 के अनुसार सक्षम स्तर से समुचित निर्णय उपरांत आगामी कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 व जोनल डवलपमेंट प्लान की प्रस्तावित शास्त्री सर्किल से पाल बाईपास रिंग रोड तक प्रस्तावित 100 फीट सड़क के क्रियान्वयन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों से सुझाव आमंत्रित करने हेतु एजेंडा कार्यकारी समिति की बैठक में सादर अनुमोदनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।”

5. This Court further directed Mr. Dave to clarify the comprehensive policy for the development of such roads and infrastructure as envisaged in the Master Development Plan-2031 of the Jodhpur Region. He was also required to indicate the time-bound schedule proposed for activating and implementing the said policy.
6. Learned counsel for the respondent-JDA seeks time to complete his instructions.
7. Time prayed for is allowed.
8. List the matter on 20.04.2026.

(SANDEEP SHAH),J

(DR.PUSHPENDRA SINGH BHATI),J